

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2024	<p>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम करणसिंह किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 07 / 2023</p> <p>राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी करणसिंह पुत्र हरगोविन्द गुर्जर निवास गांवडी तहसील सिकराय की मृत्यु हो चुकी है। तहसीलदार सिकराय को अप्रार्थी के कायम मुकाम की सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार सिकराय द्वारा मृतक अप्रार्थी करणसिंह पुत्र हरगोविन्द गुर्जर की फौतगी की रिपोर्ट एवं कायम मुकाम की सूचना पेश नहीं जाने के कारण प्रकरण अनावश्यक रूप से न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक व्यक्ति के विरुद्ध रेफरेन्स प्रकरण चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक अप्रार्थी करणसिंह पुत्र हरगोविन्द गुर्जर निवास गांवडी तहसील सिकराय के वारिसान की जांच कर तलबी हेतु पूर्ण पते सहित संशोधित टाइटल एव अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p>(सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

